एनडी तिवारी की हालत में सुधार

नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की हालत में हल्का सुधार हुआ है। गुरुवार को उनका ब्लड प्रेशर संतुलित रहा और सेहत में भी सुधार दिखा। उनके पुत्र रोहित शेखर ने बताया कि जब तक वह आइसीयू में भर्ती हैं तब तक स्थिति नाजुक ही समझी जाए।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 10 नवंबर 2017

सख्ती ▶ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर दो सप्ताह में मांगी कार्रवाई रिपोर्ट

केंद्र, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब को जारी किया नोटिस

कहा-राज्य नागरिकों को जहरीली धुंध में मरने को नहीं छोड़ सकते

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताते हुए केंद्र, दिल्ली, हरियाणा व पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। आयोग ने मीडिया में आयी खबरों के आधार पर मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकारों से इसे रोकने के लिए किये गए उपायों और किये जाने वाले उपायों पर दो सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि प्रदूषण के गंभीर मौजूदा स्तर को देखते हुए लगता है कि संबंधित अथारिटी ने इस समस्या से निबटने के लिए साल भर तक उचित कदम नहीं उठाए। ऐसा न करना इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार का हनन है। आयोग ने कहा कि केंद्र और राज्य तत्काल जरूरी कदम उठाएं और पर्यावरण संबंधी कानूनों को ठीक से लागू करें। राज्य नागरिकों को इस जहरीली धुंध में मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। इस बारे में प्रभावी अध्ययन हो और अल्पकालिक व दीर्घकालिक उपायों पर विशेषज्ञों की राय लागू होनी चाहिए। आयोग ने कहा है कि लोगों के स्वास्थ्य की जांच कराने की भी जरूरत है।

आयोग ने ये नोटिस केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव और सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव को जारी किये हैं। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के मुख्य सचिवों को भी नोटिस जारी किया है। आयोग ने कहा है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव ये बताएंगे कि प्रदूषण प्रभावित लोगों को चिकित्सा सुविधा देने के लिए सरकारी अस्पतालों में क्या प्रबंध किये गये हैं। इसके अलावा प्रदूषण के प्रति जागरूकता लाने के लिए क्या किया गया है।

निगरानी के लिए केंद्र ने बनाई उच्चस्तरीय समिति

नई दिल्ली, प्रेट्र : दिल्ली और आस-पास के इलाकों में खतरनाक स्तर तक बढ़ गए वायु प्रदूषण पर नजर रखने और इससे निपटने का हल सुझाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। प्रदूषण में वृद्धि से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होने का खतरा बढ़ गया है। मंत्रालय ने राज्य सरकारों से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) लागू करने के लिए कहा है। योजना के तहत सड़कों और निर्माण क्षेत्र से उड़ने वाली धूल, कूड़ा जलाने, ऊर्जा एवं औद्योगिक संयंत्रों से उत्सर्जन और वाहनों के आवागमन पर नियंत्रण रखा जाता है। पर्यावरण सचिव सीके मिश्रा की अध्यक्षता वाली यह सात सदस्यीय समिति अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय सुझाएगी। विभिन्न उपायों को लागू करने और योजना बनाने के लिए यह समिति नियमित अंतराल पर बैठक करेगी। समिति के अन्य सदस्यों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिक सचिव, जैव प्रौद्योगिकी सचिव, दिल्ली के मुख्य सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अध्यक्ष, नीति आयोग के अतिरिक्त सचिव और विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के प्रतिनिधि शामिल हैं। इससे पहले पर्यावरण सचिव ने सीपीसीबी और सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इसमें फैसला लिया गया कि अन्य निर्देशों के साथ ही ईंट भट्टों, हॉट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर्स की बंदी का कड़ाई से पालन किया जाए। साथ ही निर्माण क्षेत्र, पैट कोक के इस्तेमाल और फरनेस ऑयल पर प्रतिबंध को सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों को जवाबदेह बनाया जाए। सीपीसीबी से भी स्थिति पर लगातार नजर रखने के लिए कहा गया है। बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि मंत्रालय, सीपीसीबी और पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण की ओर से जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित हो और स्थिति का आकलन करने के लिए चिह्नित स्थानों का नियमित निरीक्षण किया जाए।

राजधानी में हुई जहरीली हवा से अपने बच्चें को बचाने के लिए कनॉट प्लेस में मुंह पर मास्क बंधवाता पिता। ध्रुव कुमार

हर्षवर्धन बोले, दिल्ली में प्रदूषण से घबराने की जरूरत नहीं

पणजी, प्रेट्र : केंद्रीय पर्यावरण एवं विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण से घबराने की जरूरत नहीं है। अगले कुछ दिनों में हालात सामान्य हो जाएंगे। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के कारण स्कूलों को रविवार तक के लिए बंद करना पड़ा है। उन्होंने कोयले के इस्तेमाल के कारण गोवा में होने वाले प्रदूषण पर कोई टिप्पणी नहीं की, बल्कि ऊर्जा के लिए इसकी जरूरत बताई।

हर्षवर्धन सीएसआइआर-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा आयोजित सम्मेलन में शिरकत करने के लिए गोवा में हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'दिल्ली-एनसीआर के वातावरण में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कारण नमी बढ़ गई है। हवा की गति के कारण हानिकारक पदार्थ (पार्टीकुलेट मैटर) जमा हो गए हैं। उम्मीद है कि हालात नियंत्रण में आ जाएंगे, लिहाजा घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार को इस दिशा में पूरी गंभीरता के साथ कदम उठाने होंगे। इसी तरह पड़ोसी राज्यों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।'

हाईवे परियोजनाओं में प्रदूषण पर सख्ती के निर्देश

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाईवे परियोजनाओं से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार हाईवे निर्माण परियोजना निदेशकों, ठेकेदारों और फिल्ड ऑफिसरों को पर्याप्त कदम उठाने को कहा गया है। गडकरी ने निर्माण स्थल और शिविरों में पानी का छिड़काव करने, निर्माण सामग्री/कचरा ले जाने वाले डंपरों को ढकने, निर्माण स्थलों पर खुली मिट्टी को ढकने और सभी प्लांटों को हवा की गुणवत्ता से जुड़े प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है।

ईपीसीए-सीपीसीबी ने उठाए ऑड-इवेन पर सवाल

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

दिल्ली सरकार भले ही ऑड-इवेन लागू कर स्वयं को पर्यावरण हितैषी साबित करना चाह रही हो, लेकिन पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण प्राधिकरण (ईपीसीए) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) इस निर्णय को पूरी तरह से अव्यावहारिक करार दे रहे हैं। ऑड-इवेन पर दिल्ली सरकार को भी कठघरे में खड़ा किया जा रहा है।

ईपीसीए अध्यक्ष डॉ. भूरेलाल दिल्ली सरकार के इस निर्णय को पूरी तरह से राजनीतिक करार दे रहे हैं। वह कहते हैं कि ऑड-इवेन को लेकर दिल्ली सरकार तैयार ही नहीं है। कुछ सौ अतिरिक्त बसों से लाखों यात्रियों को समायोजित करना नामुमकिन है। दिल्ली में 27 से 28 लाख कारें हैं। इनमें से अगर 13-14 लाख कारों पर ऑड-इवेन का प्रतिबंध लगाया जाता है तो इतने यात्री मंजिल तक कैसे पहुंच पाएंगे? अगर सार्वजनिक परिवहन प्रणाली मजबूत होती तो यह निर्णय अवश्य प्रभावी हो सकता था। वहीं शुक्रवार रात से हवा चलने लगेगी, शनिवार को हालात बेहतर होने लगेंगे। सोमवार तक तो स्मॉग बहुत हद तक छंट जाएगा। तब उस समय यह व्यवस्था लागू करने से दिल्ली वालों को सुविधा की बजाए असुविधा ही होगी।

ईपीसीए अध्यक्ष डॉ. भूरेलाल दिल्ली सरकार के निर्णय को पूरी तरह से राजनीतिक करार दिया

दिल्ली सरकार के निर्णय से नहीं मिलेगा प्रदूषण से छुटकारा : टेरी

द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (टेरी) के एसोसिएट डॉयरेक्टर सुमित शर्मा का मानना है कि ऑड-इवेन प्रदूषण को कम करने में बहुत अधिक प्रभावी नहीं होगा। अप्रैल 2016 में पंद्रह दिन के लिए लागू हुए ऑड-इवेन की समीक्षा में यह सामने आया है कि दिल्ली में प्रदूषण को कम करने में ऑड-इवेन की क्षमता काफी कम है। इस व्यवस्था में दी गई काफी अधिक छूट से भी इसका प्रभाव कम हो रहा है।

सीपीसीबी के सदस्य सचिव ए. सुधाकर दिल्ली सरकार की कथनी एवं करनी में ही फर्क बताते हैं। वह कहते हैं, दिल्ली सरकार दिवाली के बाद से लगातार कहती आ रही है कि ऑड-इवेन के लिए तैयारी है।

लाहौर से पटना तक हवा हुई जहरीली

जेएनएन, नई दिल्ली : इस साल मध्य अक्टूबर से पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में खेतों में जलाई जाने वाली पराली का असर इस कदर वातावरण पर पड़ा है कि पूरे उत्तर भारत के साथ पाकिस्तान भी इससे अछूता नहीं है। यह जानकारी नासा ने दी है। नासा की रिपोर्ट के मुताबिक, स्मॉग के कारण पाकिस्तान में लाहौर-पिंडी हाईवे बंद करना पड़ा है। पाकिस्तान में स्मॉग से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य पंजाब है। नासा के एक्वा सेटेलाइट से सात नवंबर 2017 को ली गई तस्वीर इस पूरे इलाके में स्मॉग के असर को दिखा रही है। इसमें देखा जा सकता है कि किस तरह पाकिस्तान से लेकर भारत का पूर्वी राज्य बिहार तक इसकी चपेट में है।

समाधान ढूंढने की जगह सियासी खींचतान में जुटे केजरीवाल

आशुतोष झा, नई दिल्ली

जिनके पास प्रदूषण से मुक्ति दिलाने की जिम्मेदारी है, वही सियासी खींचतान में जुटे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजधानी में छाए स्मॉग के लिए हरियाणा और पंजाब को कसूरवार ठहरा रहे हैं। उनका मानना है कि अगर इन दोनों राज्यों से आने वाला प्रदूषण कम हो, तो दिल्ली आसानी से सांस ले सकती है, लेकिन दोनों राज्य सरकारें इस बात को लेकर गंभीर नहीं है। वह मानते हैं कि जब तक हरियाणा और पंजाब में पराली जलेगी, तब तक प्रदूषण की समस्या से निजात नहीं मिलेगी।

बृहस्पतिवार को दिल्ली में 20 जगहों पर लगाए गए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम के उद्घाटन के अवसर पर केजरीवाल ने यहां तक कहा कि इन मुद्दों पर वह हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों से मिलने के लिए वक्त मांग रहे हैं, लेकिन उनके पास मिलने का समय नहीं है। वहीं पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली में उत्पन्न हालात स्थानीय कारणों से अधिक है। इसके बावजूद तीनों सरकारों को राजनीति से फुर्सत नहीं है।

एक दिन पहले ही उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक कर प्रदूषण पर कड़े फैसले लिए। इसमें पार्किंग रेट चार गुना बढ़ाने से लेकर निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाने, ट्रकों की एंट्री पर रोक जैसे फैसले शामिल हैं, लेकिन अगले ही दिन मुख्यमंत्री जिस तरह पड़ोसी राज्य व सरकार पर इसका ठीकरा फोड़ते दिखाई दिए, उससे जाहिर है कि केजरीवाल सरकार उपराज्यपाल द्वारा लिए गए उक्त फैसलों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। केजरीवाल के मुताबिक जब तक हरियाणा और पंजाब में किसान पराली जलाना बंद नहीं करेंगे, तब तक प्रदूषण से निजात नहीं मिलेगी। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा भी कहते हैं सरकार प्रदूषण को लेकर फिक्रमंद होती, तो बचाव के उपाय बहुत पहले हो जाने चाहिए थे।

जनमत

मुद्दा

क्या देश में जहरीली धुंध के बढ़ते दायरे को रोकने के लिए अल्पकालीन की जगह स्थायी कदम उठाए जाने चाहिए?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **MUDDA** लिखें, स्पेस देकर **YES** या **NO** लिखकर 57272 पर भेजें।

facebook.com/muddajagran

mudda@jagran.com

दिल्ली सरकार की दलील, एलजी के पास कोई अधिकार नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र : उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों व शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की सरकार ने संविधान पीठ के समक्ष दलील दी कि एलजी के पास कोई अधिकार नहीं है और वह लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं। मामले पर अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी।

सरकार ने दलील दी कि एलजी बिना किसी अधिकार के चुनी हुई सरकार के फैसले ले रहे हैं या फिर उन्हें बदल रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष दिल्ली सरकार ने दलील दी कि किसी मसले पर सरकार और एलजी के बीच मतभेद होने की स्थिति में राष्ट्रपति या दिल्ली सरकार या मंत्रिपरिषद के पास निर्णय का अधिकार है। अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी. चिदंबरम पेश हुए। उन्होंने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार अधिनियम समेत अन्य विधानों का हवाला देते हुए दलील दी कि एलजी को सहयोग और सलाह पर काम करना चाहिए। मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति निर्णय लेंगे। कोई तीसरा रास्ता नहीं है। उपराज्यपाल के पास कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले का भी उल्लेख किया जिसमें उच्च न्यायालय ने एलजी को दिल्ली का प्रशासनिक प्रमुख होने का फैसला दिया था। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि अब हर मामले में एलजी कह रहे हैं कि सरकार को कोई अधिकार नहीं है और वह खुद निर्णय लेंगे।

बकौल चिदंबरम, नीतिगत निर्णय निर्वाचित सरकार के लिए आधार होते हैं। सरकार के संविधान या कानून विरुद्ध फैसलों में हस्तक्षेप किया जा सकता है। इस पर संविधान पीठ ने कहा, 'कोर्ट सरकार का अर्थ कानून से नहीं समझेगा। इसके लिए संविधान को देखना पड़ेगा।' पीठ ने दिल्ली सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के अधिकार के बारे में भी जानकारी मांगी।

अधिकारों और शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई

दिल्ली सरकार से पूछा नियमित शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं करते

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : हाई कोर्ट ने अतिथि शिक्षकों को नियमित करने और उनकी नई नियुक्ति पर रोक के अपने 27 सितंबर के आदेश को वापस लेने से इन्कार कर दिया। स्कूलों में 8 हजार नए अतिथि शिक्षकों की भर्ती को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एके चावला ने कहा कि दिल्ली सरकार अब तक बताने में विफल रही है कि अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के लिए विधानसभा में पारित विधेयक को कब तक मंजूरी मिलेगी। मामले में लगाया गया स्टे जारी रहेगा। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि नियमित शिक्षकों की भर्ती का मामला टाला नहीं जा सकता है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को शुक्रवार तक शिक्षकों की नियुक्ति, खाली पदों व भविष्य की कार्ययोजना पर रिपोर्ट देने का आदेश दिया। दिल्ली सरकार की अतिथि शिक्षकों की भर्ती की मांग को आश्चर्यजनक करार देते हुए कोर्ट ने पूछा कि अगर आप संविदा पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती करना चाहते हैं तो साथ ही नियमित शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं करते हैं। मामले में अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी।एनजीओ सोशल जस्टिस द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान याची अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक बनाए रखने की मांग की।

दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाना सबकी जिम्मेदारी : थावर चंद गहलोत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

सार्थक एजुकेशन ट्रस्ट की ओर से गुरुवार को वसंत कुंज स्थित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) के ऑडिटोरियम में चौथे नेशनल कॉफ्रेंस का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने कहा कि पिछले तीन वर्षों से दिव्यांगजनों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मंत्रालय कई कार्यक्रम चला रहा है।

सरकार ने इस बीच कई नई योजनाएं बनाई हैं। इससे दिव्यांगों को रोजगार मिलने में मदद मिल रही है। पहले दिव्यांगों की सात श्रेणियां थी, जिसे बढ़ाकर 21 किया गया। दिव्यांगों को उपकरण देने का केंद्र सरकार ने पांच बार रिकॉर्ड बनाया है। चार बार गुजरात में और एक बार मणिपुर में। एक दिन में 6911 सुनने की मशीनें बांटने का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बना है। इससे पूर्व आस्ट्रेलिया ने यह रिकॉर्ड बनाया था।

पिछले दिनों हमारे देश के दिव्यांग बच्चों ने कई खेलों में पदक जीत कर देश व अपने परिवार का नाम रौशन किया है। इसके लिए खेल मंत्रालय के अधिकारी बधाई के पात्र हैं।

युवा मामले व खेल मंत्रालय के सचिव एके दुबे ने कहा कि मंत्रालय ऐसे खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। यही कारण है कि दिव्यांग खिलाड़ी विदेश में भी मेडल जीत रहे हैं। सार्थक ट्रस्ट के गुरु एमबी अत्रे ने कहा कि दिव्यांगों को सशक्त बनाने के लिए पांच लोगों की सबसे अहम भूमिका होती है। अभिभावक, शिक्षक, डॉक्टर, ट्रेनर और सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं जो इन्हें रोजगार देती हैं। सार्थक के संस्थापक व सीईओ डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल ने कहा कि हमारी संस्था दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर, सशक्त बनाने के साथ-साथ उन्हें प्रशिक्षण दे रही है। देश में अब सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में दिव्यांगों का चयन होने लगा है।

वसंत कुज स्थित एआइसीटीइ में आयोजित चौथे नेशनल कॉफ्रेंस में बोलते थावर चंद गहलोत।

न्यूज गैलरी

स्पाइस जेट के विमान की एयरपोर्ट पर हार्ड लैंडिंग

नई दिल्ली : आइजीआइ एयरपोर्ट पर मध्य प्रदेश के जबलपुर से आए स्पाइस जेट के विमान की एयरपोर्ट पर हार्ड लैंडिंग हुई। हालांकि इससे एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। इस घटना में किसी भी यात्री के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना क्यों घटी इसकी जांच की जा रही है। एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक घटना बुधवार दोपहर की है। स्पाइस जेट की फ्लाइट संख्या एसजी-2642 बिलासपुर से आइजीआइ एयरपोर्ट पर उतरी थी। उतरने के दौरान विमान के पीछे का पहिया देरी से खुला। जिससे फ्लाइट का पिछला हिस्सा रनवे से छू गया। हालांकि बाद में पायलट ने स्थिति को तुरंत नियंत्रण में किया। लिहाजा हादसा होने से बच गया। प्रवक्ता ने बताया कि इस घटना में किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है।

जामिया में स्थिति मजबूत करने की तैयारी में एबीवीपी

नई दिल्ली : जामिया मिलिया इस्लामिया में भले ही अभी छात्र संघ चुनाव होने को लेकर अनिश्चितता है, लेकिन सभी छात्र संगठन यहां अपने आधार को मजबूत करने के लिए प्रयासरत हैं। हाल ही में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने भी अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए छात्र संगठन इकाई की घोषणा की है। निकट भविष्य में एबीवीपी यहां सदस्यता अभियान भी चलाएगी। शनिवार को केरल में आयोजित होने वाली चलो केरल रैली में जामिया के छात्रों के जाने की भी सूचना है। विगत दिनों जामिया में एबीवीपी की कार्यकारिणी के सदस्यों ने शर्फ इलाही सिद्दीकी को अध्यक्ष और आसिफ आफताब को मंत्री पद का दायित्व दिया है। जामिया के एबीवीपी की इकाई में चार उपाध्यक्ष, चार सहसचिव, एक खेल मंत्री, एक सांस्कृतिक मंत्री, एक सोशल मीडिया संयोजक के साथ एक छात्रा प्रमुख आफरीन और एक सह छात्रा सह प्रमुख शाहीन को दायित्व दिया गया है।

चेक से भुगतान के लिए बाध्य नहीं कर सकते बिजली कर्मचारी

नई दिल्ली : बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक राहत भरी खबर है। कम राशि के बिजली बिल, जैसे दो सौ या चार सौ रुपये के लिए चेक नहीं देना होगा। बिजली बिल भुगतान करने के दौरान यदि कोई कर्मचारी ऐसी मांग करता है तो उसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है।

रिमांड के बाद छात्र की काउंसिलिंग कराएगा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम

प्रद्युम्न हत्याकांड

रिमांड अवधि समाप्त होने के दिन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने किया जाएगा पेश

प्रद्युम्न हत्याकांड में गिरफ्तार 11वीं के छात्र से सीबीआइ ने पूछताछ शुरू कर दी है। उससे दिल्ली मुख्यालय में पूछताछ की जा रही है। छात्र की रिमांड अवधि शनिवार को पूरी होगी। उसी दिन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा उसकी काउंसिलिंग कराई जाएगी। काउंसिलिंग के बाद तय किया जाएगा कि मामले को सेशन कोर्ट में भेजना है या फिर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजे बोर्ड) में ही रखना है। नए कानून के तहत 16 या इससे अधिक उम्र के बच्चों के मामले बोर्ड से सेशन कोर्ट में भी भेजे जा सकते हैं।

सीबीआइ ने रेयान इंटरनेशनल स्कूल में छात्र प्रद्युम्न की हत्या के आरोप में स्कूल के ही 11वीं कक्षा के एक छात्र को गिरफ्तार किया था। तीन दिन के रिमांड के दौरान रोजाना सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक उससे पूछताछ हो रही है। शनिवार को बोर्ड के सामने दोबारा छात्र को पेश किया जाएगा। उसी दिन उसकी काउंसिलिंग कराने की व्यवस्था की गई है।

> प्रद्युम्न हत्याकांड में गिरफ्तार छात्र की भी काउंसिलिंग कराने का निर्णय लिया गया है। इससे पता चलेगा कि छात्र के मामले को ऊपरी अदालत में भेजा जा सकता है या नहीं।
>
> -ऊषा सोलंकी, सदस्य, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड

राव नरबीर के गले नहीं उतर रही सीबीआइ जांच

सोहना (गुरुग्राम) : प्रद्युम्न हत्याकांड में पुलिस जांच के विपरीत स्कूल के ही 11वीं कक्षा के छात्र को आरोपी बनाने वाली सीबीआइ के तर्क से प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह सहमत नहीं हैं। राव ने कहा : मुझे तो सीबीआइ जांच में छात्र का नाम आने पर बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने ही एक मासूम जूनियर का कत्ल बड़ी कक्षा का बच्चा इसलिए कर देगा कि वह परीक्षा नहीं देना चाहता था? मुझे यह तर्क हजम नहीं हो रहा है। हम चाहेंगे कि सीबीआइ इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करे। मैं मानता हूं कि हरियाणा पुलिस सही जांच कर रही थी।

साहिबाबाद में सरेशाम गोलियों से भूनकर बिल्डर की हत्या

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद : साहिबाबाद थानाक्षेत्र के शालीमार एक्सटेंशन-एक में दो मोटरसाइकिल सवार चार बदमाशों ने सरेशाम दफ्तर में घुसकर बिल्डर को गोलियों से भून दिया। आनन-फानन कौशांबी के यशोदा अस्पताल में ले जाया गया, जहां बिल्डर की मौत हो गई। मृतक बिल्डर एसके सिंह (55) विवेक विहार दिल्ली में परिवार के साथ रहते थे। छह माह के अंदर बदमाशों ने तीन बार उनपर जानलेवा हमला किया था। आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों को रुपये लेकर छोड़ दिया था। बिल्डर का पसौंडा निवासी एक व्यक्ति से जमीन का विवाद चल रहा था। एसके सिंह का एकता बिल्डर्स के नाम से दफ्तर है। वह शालीमार गार्डन बिल्डर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे। वह बृहस्पतिवार शाम करीब पौने पांच बजे अपने दफ्तर में बैठे थे। इसी दौरान हेलमेट पहने हुए दो मोटरसाइकिल से पहुंचे चार बदमाशों ने दफ्तर के बाहर खड़ी फॉर्च्यूनर कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की।

राष्ट्रपति कोविंद 14 को करेंगे व्यापार मेले का शुभारंभ

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

37वें अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का शुभारंभ 14 नवंबर को हंसध्वनि थियेटर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। इस बार मेले में 3000 से अधिक भागीदार शिरकत कर रहे हैं। मेले में पार्टनर देश वियतनाम, फोकस देश किर्गिस्तान और पार्टनर राज्य झारखंड है।

इस बार व्यापार मेले के सामान्य दिनों के टिकट दर्शक एडवांस में ले सकेंगे। यह प्रगति मैदान को छोड़कर अन्य सभी मेट्रो स्टेशन पर उपलब्ध होंगे। इन्हें ऑनलाइन भी बुक करवाया जा सकता है। इसके अलावा इस बार सिर्फ चार व्यापारिक दिवस रखे गए हैं। व्यापारी दर्शक पंजीकरण काउंटर गेट नंबर एक पर बनाया गया है। इसके अलावा चारों दिनों का संयुक्त टिकट 1800 रुपये का रहेगा। अंतरराष्ट्रीय बिजनेस लांज गेट नंबर एक पर रहेगा।

इस साल मेले में 22 देश हिस्सा ले रहे हैं जिसमें अफगानिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, भूटान, चीन, हांग कांग, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, दक्षिण कोरिया, म्यांमार, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, थाईलैंड, टर्की, किर्गिस्तान, नीदरलैंड, यूएई, यूके और वियतनाम जैसे देश शामिल हैं। घरेलू भागीदारों में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न सरकारी मंत्रालय और विभागों की भी भागीदारी रहेगी। मेले के दौरान गाड़ियों से आने वाले दर्शकों के लिए भैरो सिंह मार्ग पर पार्किंग के रेट तय कर दिए गए हैं। बस व ट्रक के लिए 400 रुपये, कार, जीप, वैन के लिए यह 175 रुपये, स्कूटर व बाइक के लिए 90 रुपये और साईकल के लिए 5 रुपये के पार्किंग चार्ज तय किए गए हैं।

प्रगति मैदान में गुम हुए लोगों की उद्घोषणा कराने के लिए 30 रुपये का शुल्क लगेगा। इसके लिए दर्शक केंद्रीय सुविधा केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं।